



न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म०प्र० म्याडियर, सर्किट कोर्ट रीवा, जिला



नियरानी 2538-II-15

C.F. Rs. 40/-

- 1- बलराम सिंह ॥ सभी के पिता श्री देवी सिंह, निवासी ग्राम माजन,
- 2- नागेन्द्र सिंह ॥ तहसील जवा, जिला रीवा म०प्र०,
- 3- रत्नाकर सिंह ॥
- 4- गुरुरतन सिंह ॥
- 5- तारा सिंह पत्नी संतोष सिंह, :----- निगरानी क्त गिण

बनाम

भगवती सिंह पिता जयमंगल सिंह, साकि माजन, तहसील जवा, जिला रीवा
 म०प्र० - :----- गैर निगरानी क्त

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू राजस्व
 संहिता 1959 ई. ।

न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी तहसील
 त्थेधर, जिला रीवा म०प्र०, आदेश दिनांक
 29.6.2015, एवं पं. क्र. 95/अ-27/अपील/12-13,

243
27/15

श्री. अशोक सिन्धी
 द्वारा आज दिनांक 07-07-15 के
 प्रस्तुत किया

क्रमांक.....
 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
 दिनांक..... को प्राप्त

कोर्ट
 म्याडियर,
 राजस्व

संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है:-

यह कि ग्राम माजन की भूमि नम्बर 13, 17, 18, 21, 22/1, 22/2, 23/1, 24
 33, 34, 35, 37, 38, 40, 41, 42, 46, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 66
 71, 72, 73, 74, 75, 76, 36/109, 15/110, 112, कुल 38, कुमला रकवा 39.
 एकड़ का बटवारा नामांतरण दिनांक 30.6.05 को पंजी क्र. 2 एवं 3 के अनुसार

M

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.2538-II/15

जिला-रीवा

बलराम सिंह/भगवती सिंह

(1)	(2)	(3)
26.04.17	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत।</p> <p>2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।</p> <p>3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः साहेता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>4. आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

